



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1424 / SEIAA/2022

Date: 24/8/22

प्रति,


कलेक्टर,
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 9269/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाइस कंपनी, वार्ड नं. 8, पी.ओ. जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा बॉक्साईट, लेटेराईट, ऑकर व वाईट अर्थ खदान, उत्पादन क्षमता बॉक्साईट 35273, लेटेराईट 4294, ऑकर 5040, मिनरल रिजेक्ट 9370, ओवरबर्डन 4410 टन प्रतिवर्ष, रकबा 15.78 हेक्टेयर, खसरा 43 भाग, ग्राम कुम्हरा जुडवानी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 741 वी बैठक दिनांक 17.08.2022 में SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 अनुशंसा उपरांत निम्नानुसार अभिलिखित किया गया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के अंदर मानव बसाहट एवं सड़क परिलक्षित हो रही है। प्रस्तावित खदान क्षेत्र में एवं आसपास मानव बसाहट पर खनन कार्य के दौरान प्रतिकूल प्रभावों के दृष्टिगत कलेक्टर रीवा से 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि खदान क्षेत्र के अंदर स्थित मानव बसाहट को शिफ्ट किया जायेगा अथवा नहीं। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाये कि प्रस्तावित R & R योजना पर जिला प्रशासन की क्या सहमति प्राप्त की है इस हेतु 10 दिवस में सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार, खनन कार्य के दौरान प्रतिकूल प्रभावों के दृष्टिगत खदान क्षेत्र के अंदर स्थित मानव बसाहट को शिफ्ट किया जायेगा अथवा नहीं के संबध में 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत भेजने का कष्ट करे।



24/08/22
(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1425 / SEIAA/2022

दिनांक - 24/8/22

प्रतिलिपि:-

1. मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाइस कंपनी, वार्ड नं. 8, पी.ओ. जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.)


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी